

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 28-03-2025

विषय सूची

पैनल ने CBI में सीधी भर्ती के लिए रूपरेखा की सिफारिश की
भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP)
सागरमाला कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ
भारत के ई-रिटेल बाज़ार का विकास
धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटना
भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था
प्रवाल विरंजन ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ को नष्ट कर दिया

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय तकनीकी वस्तु मिशन के 5 वर्ष
विकास और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता(Dx-EDGE)
जिला खनिज फाउंडेशन(DMF)
मनरेगा मजदूरी में वृद्धि
भारत 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन जाएगा
गैया मिशन (Gaia Mission)
ग्रीन ग्रैबिंग
नाग मिसाइल प्रणाली (NAMIS)
अभ्यास प्रचंड प्रहार

पैनल ने CBI में सीधी भर्ती के लिए रूपरेखा की सिफारिश की

संदर्भ

- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने CBI में स्वतंत्र सीधी भर्ती की सिफारिश की।

प्रमुख अनुशंसा:

- स्वतंत्र भर्ती:** विभिन्न संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण संख्या में पद भरे गए।
 - CBI को एक स्वतंत्र भर्ती ढाँचा विकसित करना चाहिए।
 - SSC, UPSC या समर्पित CBI परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती।
 - साइबर अपराध, फॉरेंसिक, वित्तीय धोखाधड़ी और कानूनी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए पार्श्व प्रवेश।
 - प्रतिनियुक्ति वरिष्ठ पदों तक ही सीमित होनी चाहिए।
 - बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करने के लिए एक आंतरिक विशेषज्ञता टीम बनाएँ।
- राज्य की सहमति:** CBI को राज्य की सहमति के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के मामलों की जाँच करने की अनुमति देने वाला एक नया कानून बनाएँ।
 - निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना और राज्य सरकारों को शक्तिहीन महसूस करने से रोकना।
- स्थायी कैडर:** CBI को स्थिरता के लिए संरचित कैरियर प्रगति के साथ एक स्थायी कैडर स्थापित करना चाहिए।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) से संबंधित मुद्दे

- स्वायत्तता और प्रभावशीलता का अभाव:** यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत संचालित होता है, जो इसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है।
 - जाँच के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है, जिससे प्रायः परिचालन संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

- जनशक्ति की कमी:** एजेंसी की स्वीकृत क्षमता का लगभग 16% पद रिक्त है, जिसके कारण परिचालन में बाधा आ रही है।
- CBI प्रतिनियुक्ति मुद्दा:** CBI को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों को भरने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से निरीक्षक से नीचे के पदों के लिए, क्योंकि राज्य पुलिस से उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

- CBI भारत की विशेष जाँच एजेंसी है, जो हाई-प्रोफाइल अपराध, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार है।
- स्थापना:** CBI की स्थापना 1963 में भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी।
- मंत्रालय:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
- अधिकार क्षेत्र:** CBI की जाँच शक्तियाँ उसके सामान्य सहमति के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले अपराधों के लिए राज्य सरकार की सहमति के अधीन हैं।
 - आठ राज्यों ने इस सहमति को वापस ले लिया है, जिससे कुछ मामलों की जाँच करने की इसकी क्षमता सीमित हो गई है।
- निदेशक:** CBI का नेतृत्व 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Source: IE

भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP)

संदर्भ

- कुछ डॉक्टर गर्भपात करने के बारे में नैतिक असुविधा व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से जब गर्भावस्था आगे बढ़ जाती है।
 - उन्नत गर्भावस्था के मामलों में चिंताएँ बढ़ जाती हैं, जहाँ भ्रूण की व्यवहार्यता पर परिचर्चा उभरती है।

परिचय

- **भ्रूण की व्यवहार्यता पर परिचर्चा:** व्यवहार्यता से तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है, लेकिन इसका कोई निश्चित समय उपस्थित नहीं है।
- जैसे-जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, भ्रूण का जीवन का अधिकार मजबूत होता जाता है, जिससे कानूनी और नैतिक चर्चाओं में व्यवहार्यता एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है।

गर्भपात पर भारत का कानूनी दृष्टिकोण

- गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) अधिनियम विशिष्ट पूर्वनिर्धारित स्थितियों में गर्भपात की अनुमति देता है।
- 1971 में MTP अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) द्वारा शासित होती थी।
- इनमें से अधिकांश प्रावधानों का उद्देश्य गर्भपात को अपराध बनाना था, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ प्रक्रिया महिला के जीवन को बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक की गई हो।
- ये प्रावधान वांछित और अवांछित गर्भधारण के बीच अंतर करने में विफल रहे, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया।
- 1971 में, MTP अधिनियम को संसद द्वारा एक "स्वास्थ्य" उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था, ताकि कुछ निश्चित परिस्थितियों में और पंजीकृत चिकित्सकों की देखरेख में गर्भपात को अपराध से मुक्त किया जा सके।
- धारा 3(2) के तहत गर्भावस्था को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब यह 20 सप्ताह से अधिक न हो।
- इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि गर्भावस्था गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर समाप्त की जाती है तो एक डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है, तथा यदि गर्भावस्था 12 से 20 सप्ताह के

बीच समाप्त की जाती है तो दो डॉक्टरों की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है।

- **एमटीपी अधिनियम में 2021 का संशोधन:** नियम 3B के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के कारण महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी गई, इसके अतिरिक्त बलात्कार से बचे लोगों, अनाचार की पीड़ितों और अन्य कमजोर महिलाओं के मामलों में भी गर्भपात की अनुमति दी गई।
- इसने "किसी भी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा" शब्द के स्थान पर "किसी भी महिला या उसके साथी द्वारा" शब्द रख दिए, जिससे विवाह संस्थाओं के बाहर गर्भधारण को भी कानून के दायरे में लाया गया।
- MTP अधिनियम के अनुसार, 24 सप्ताह के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाना आवश्यक है, जो इस बात पर राय देगा कि भ्रूण में गंभीर असामान्यता की स्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जाए या नहीं।

MTP के पक्ष में तर्क

- **शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार:** महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की स्वायत्तता होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में प्रजनन अधिकारों के महत्त्व पर बल दिया है।
- **शारीरिक स्वास्थ्य:** यदि गर्भधारण करने से महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो, जिसमें गर्भावधि मधुमेह या एक्लेम्पसिया जैसी स्थितियाँ शामिल हैं, तो उसके जीवन की रक्षा के लिए गर्भपात को उचित ठहराया जा सकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** ऐसे मामलों में जहाँ गर्भावस्था मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ा देती है (जैसे, प्रसवोत्तर अवसाद या मनोविकृति), माँ के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए गर्भपात आवश्यक हो सकता है।

- **अव्यवहित भ्रूण:** यदि भ्रूण में जन्मजात असामान्यताएँ या जीवन के साथ असंगत स्थितियाँ हों, तो बच्चे को लंबे समय तक कष्ट से बचाने के लिए गर्भपात नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है।
- **अनियोजित गर्भधारण:** आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं के लिए, गर्भपात सेवाओं तक पहुँच की क्षमता उन्हें आगे की चुनौतियों से बचने में सहायता कर सकती है।
- **असुरक्षित गर्भपात में कमी:** गर्भपात तक कानूनी पहुँच से असुरक्षित, अवैध गर्भपात की संख्या में कमी आती है, जो प्रायः महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम या यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बनता है।

MTP के विरुद्ध तर्क

- **भ्रूण के जीवन का अधिकार:** नैतिक आपत्तियों में तर्क दिया जाता है कि भ्रूण को जीवन का अधिकार है, विशेष रूप से जब गर्भावस्था आगे बढ़ती है और भ्रूण की जीवनक्षमता बढ़ती है, तो गर्भपात कम स्वीकार्य हो जाता है।
- **भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** गर्भपात कराने से महिला पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं, जिसमें अपराध बोध, पछतावा और भावनात्मक आघात शामिल हैं।
- **गैर-चिकित्सा गर्भपात:** इस बात की चिंता है कि गर्भपात की अनुमति देने से इसे एक दुर्लभ और आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप के बजाय जन्म नियंत्रण की एक विधि के रूप में सामान्य बना दिया जाएगा।
- **दुरुपयोग का खतरा:** इस बात की चिंता है कि गर्भपात कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे लिंग-चयनात्मक गर्भपात या सुविधा जैसे गैर-चिकित्सीय कारणों से।
- **समाज पर नकारात्मक प्रभाव:** व्यापक गर्भपात परिवार और जीवन के मूल्य से संबंधित सामाजिक मूल्यों में गिरावट में योगदान दे सकता है।
- **सांस्कृतिक मान्यताएँ:** सांस्कृतिक मानदंड प्रायः गर्भपात को नैतिक रूप से अस्वीकार्य मानते हैं, खासकर

जब इसे प्राकृतिक व्यवस्था या पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं का उल्लंघन माना जाता है।

आगे की राह

- **गर्भपात देखभाल तक पहुँच:** MTP गोलियों को अधिक सुलभ बनाने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने से गर्भपात तक पहुँच में सुधार हो सकता है।
- बेहतर यौन शिक्षा और गर्भपात को कानूनी अपवाद के बजाय एक स्वास्थ्य सेवा के रूप में देखने से कलंक को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **चिकित्सा निर्णय लेने में सहानुभूति:** डॉक्टरों को महिलाओं के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष रूप से देर से गर्भपात से जुड़ी भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में।

Source: TH

सागरमाला कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ

संदर्भ

- बंदरगाह मंत्रालय द्वारा 2015 में प्रारंभ किए गए सागरमाला कार्यक्रम ने भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

परिचय

- 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौगम्य जलमार्ग तथा प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थिति के साथ, भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं।
- सागरमाला कार्यक्रम समुद्री अमृत काल विजन 2047 (MAKV) का एक प्रमुख स्तंभ है, जो समुद्री मामलों में वैश्विक नेता बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाता है।
- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के आधार पर, MAKV ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें 4 मिलियन सकल पंजीकृत टन भार (GRT) जहाज निर्माण क्षमता और प्रतिवर्ष 10 बिलियन मीट्रिक टन बंदरगाह संचालन शामिल है, जिसका उद्देश्य MAKV की रणनीतियों

के अनुसार भारत को शीर्ष पाँच जहाज निर्माण देशों में स्थान दिलाना है। तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार करना तथा सतत नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।


सागरमाला कार्यक्रम

- **उद्देश्य:** पारंपरिक, बुनियादी ढाँचे-भारी परिवहन से कुशल तटीय एवं जलमार्ग नेटवर्क में स्थानांतरित करके रसद को सुव्यवस्थित करना, लागत कम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

- यह कार्यक्रम बंदरगाह आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सतत तटीय विकास पर केंद्रित है, जिससे न्यूनतम बुनियादी ढाँचे में निवेश सुनिश्चित किया जा सके और आर्थिक प्रभाव अधिकतम हो।

घटक:

- इस कार्यक्रम में कई प्रमुख घटक शामिल हैं जिनका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र परियोजनाओं को 5 स्तंभों में विभाजित किया गया है।



कार्यान्वयन तंत्र:


- प्रमुख बंदरगाह, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, राज्य समुद्री बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियाँ परियोजनाओं को क्रियान्वित करती हैं।
- परियोजनाओं का चयन प्रमुख बंदरगाहों की मास्टर प्लानिंग, राष्ट्रीय और राज्य संचालन समितियों की बैठकों के आधार पर किया जाता है।

वित्तपोषण संरचना:

- कई परियोजनाओं को प्रमुख बंदरगाहों सहित जल संसाधन मंत्रालय की एजेंसियों के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है तथा जहाँ भी संभव हो, पीपीपी मॉडल लागू किया गया है।
- सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (SDCL) की स्थापना परियोजना के विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) को समर्थन देने के लिए की गई थी।

• उपलब्धियाँ:

- तटीय शिपिंग में एक दशक में 118% की वृद्धि हुई, रो-पैक्स नौकाओं ने 40 लाख से अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान की, तथा अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो में 700% की वृद्धि हुई।
- नौ भारतीय बंदरगाह विश्व के शीर्ष 100 में शामिल हैं, जिनमें विजाग शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है।



सागरमाला 2.0



सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव (S2I2)

- 19 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया यह एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है जिसे भारत के समुद्री क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- S2I2 हरित शिपिंग, स्मार्ट बंदरगाहों, समुद्री लॉजिस्टिक्स, जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी और सतत तटीय विकास में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण, मार्गदर्शन तथा उद्योग साझेदारी प्रदान करके समर्थन देता है।
- RISE - अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता - S2I2 के सिद्धांतों पर आधारित, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और आर्थिक विकास को गति देगा।

चुनौतियाँ

- निवेश जुटाना और बजटीय सहायता: समय पर निवेश और पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना एक सतत मुद्दा रहा है।
- भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में, जटिल कानूनी और पर्यावरणीय पहलुओं से जुड़ा होता है।
- हितधारक समन्वय: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, बंदरगाह प्राधिकरणों और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है।
- कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएँ: बंदरगाहों और भीतरी इलाकों के बीच अपर्याप्त अंतिम-मील कनेक्टिविटी से माल की आवाजाही की दक्षता प्रभावित होती है।
 - घरेलू जलमार्गों का कम उपयोग तथा रेल अवसंरचना की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है।
- सामुदायिक और सामाजिक प्रभाव: बंदरगाह विस्तार और संबंधित औद्योगिक गतिविधियों के कारण स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से मछली पकड़ने वाली आबादी का विस्थापन हो सकता है।

आगे की राह

- अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार: निर्बाध कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देना।
- सतत विकास पर ध्यान केन्द्रित करना: पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करें, हरित बंदरगाहों को बढ़ावा दें, तथा सामुदायिक आजीविका को समर्थन प्रदान करें।
- बंदरगाह-आंतरिक क्षेत्र संपर्क को बढ़ाना: अंतिम मील तक माल की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क में निवेश करें।
- स्वदेशी जहाज निर्माण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना: समुद्री बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के लिए मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना।

Source: PIB

भारत के ई-रिटेल बाज़ार का विकास

समाचार में

- भारत का ई-रिटेल बाजार 2030 तक सकल वस्तु मूल्य (GMV) में तिगुना होकर 170-190 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की सम्भावना है, जो बढ़ते ग्राहक आधार और नवीन व्यापार मॉडल से प्रेरित है।

भारत का रिटेल उद्योग

- यह विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है और भारत अंतर्राष्ट्रीय रिटेल दिग्गजों के लिए एक प्रमुख बाजार है, जो अपने बड़े मध्यम वर्ग और अप्रयुक्त क्षमता के कारण प्रेरित है।
- शहरी भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति विभिन्न श्रेणियों में ब्रांडेड वस्तुओं की माँग को बढ़ावा दे रही है।

विकास के चालक

- अनुकूल जनसांख्यिकी: भारत की बड़ी, युवा जनसंख्या, बढ़ता मध्यम वर्ग, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली रिटेल विकास में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिसे अनुकूल सरकारी नीतियों का समर्थन प्राप्त है।

- उपयोगकर्ता का उपयोग टियर-2 और टियर-3 शहरों तक फैल रहा है, 2020 से 60% नए खरीदार छोटे शहरों से आ रहे हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-रिटेल की पहुंच अधिक है, तथा यहाँ भारत के अन्य भागों की तुलना में खरीदारों की संख्या 1.2 गुना अधिक है।
- **आय और क्रय शक्ति में वृद्धि:** भारत क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, जहाँ आय का स्तर बढ़ रहा है और क्रय शक्ति में सुधार हुआ है, साथ ही अत्यधिक गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है।
- **उपभोक्ता मानसिकता में परिवर्तन:** पारंपरिक रिटेल व्यापार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बदलाव के कारण सुविधा में वृद्धि, उत्पाद का व्यापक चयन, मूल्य संवेदनशीलता, ऑनलाइन लेनदेन में विश्वास, तथा प्रौद्योगिकी और तेज वितरण पर अधिक निर्भरता बढ़ी है।
- **ब्रांड चेतना:** भारत में उपभोक्ता आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों से प्रभावित होकर ब्रांड के प्रति अधिक सचेत हो रहे हैं।
- **आसान उपभोक्ता ऋण और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद:** गुणवत्ता वाले उत्पादों में वृद्धि के साथ-साथ असुरक्षित रिटेल ऋणों की वृद्धि ने उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा दिया है।

वर्तमान स्थिति

- भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ई-रिटेल बाजार है और 2024 तक यहाँ 270 मिलियन से अधिक ऑनलाइन खरीदार होंगे। भारत अब केवल चीन से पीछे है, जहाँ 920 मिलियन से अधिक डिजिटल खरीदार हैं।
- वर्ष 2024 तक बाजार का मूल्य 60 बिलियन डॉलर होगा, जिसकी वृद्धि दर 10-12% होगी, जो कि व्यापक आर्थिक दबावों के कारण 20% से कम है।
- किराना, जीवनशैली और सामान्य सामान जैसी श्रेणियों में 2030 तक 70% वृद्धि होने की उम्मीद है, तथा प्रवेश स्तर दो से चार गुना बढ़ जाएगा।

- त्वरित वाणिज्य (Q-कॉमर्स), जो कुल ई-रिटेल GMV का 10% है, का वार्षिक 40% से अधिक बढ़ने का अनुमान है।

चुनौतियाँ

- भारत का ई-रिटेल बाजार 2024 में बढ़ेगा, लेकिन व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण इसकी वार्षिक वृद्धि दर धीमी हो गई है, जिसमें बढ़ती मुद्रास्फीति, स्थिर मजदूरी और कमजोर उपभोक्ता व्यय शामिल हैं, विशेषकर शहरी बाजारों में।
- कई उपभोक्ता ब्रांडों ने धीमी राजस्व वृद्धि की सूचना दी है, तथा बदलते व्यय पैटर्न के साथ सामंजस्य बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं।

विभिन्न पहल

- सरकार ने कारोबारी माहौल में सुधार लाने और विदेशी कंपनियों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नीतियाँ प्रारंभ की हैं, जिससे खुदरा क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा मिलेगा।
- भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाइन खुदरा व्यापार में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति दे दी है, जिससे भारत में कार्यरत ई-कॉमर्स कंपनियों के वर्तमान कारोबार पर स्पष्टता आएगी।

निष्कर्ष और आगे की राह

- कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को बदल दिया है, तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी के अनुभवों को मिश्रित कर दिया है।
- खुदरा विक्रेता नवीन रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं, ई-कॉमर्स को पारंपरिक तरीकों के साथ एकीकृत कर रहे हैं, तथा ग्राहक मूल्य बढ़ाने के लिए नए राजस्व मॉडल के साथ प्रयोग कर रहे हैं।
- ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है, उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर अधिक विकल्प प्रदान कर रहा है, और संभावना है कि यह खुदरा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

- खुदरा विक्रेताओं को अचल संपत्ति की लागत कम करने और टियर II और टियर III शहरों में अधिक ग्राहकों तक पहुँचने के लिए डिजिटल चैनलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Source :IE

धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटना

संदर्भ

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) निजी क्षेत्र सहयोग फोरम में हाल ही में दिए गए संबोधन में, RBI के गवर्नर ने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।

RBI गवर्नर के अभिभाषण के मुख्य अंश


- **संतुलित विनियमन:** गवर्नर ने ऐसे विनियमनों के महत्व पर बल दिया जो वैध निवेश या वित्तीय

समावेशन को बाधित किए बिना अवैध गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से प्रतिबंध लगा सकें।

- **उन्नत प्रौद्योगिकियों की क्षमता:** लेनदेन की निगरानी और जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन का उपयोग।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता।

धन शोधन के बारे में

- यह अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया है। यह सामान्यतः तीन चरणों में होता है:
 - **प्लेसमेंट:** वित्तीय प्रणाली में अवैध धन का प्रवेश।
 - **लेयरिंग:** स्रोत को अस्पष्ट करने के लिए एकाधिक लेनदेन का संचालन करना।
 - **एकीकरण:** लूटे गए धन को वैध संपत्ति के रूप में अर्थव्यवस्था में पुनः एकीकृत करना।



- सामान्य तकनीकों में शैल कंपनियाँ, अपतटीय खाते, अचल संपत्ति की खरीद, व्यापार आधारित शोधन और डिजिटल मुद्रा लेनदेन सम्मिलित हैं।
- ये धनराशि दान या धर्मार्थ कार्यों जैसे वैध स्रोतों से या नशीली दवाओं की तस्करी जैसे अवैध माध्यमों से प्राप्त हो सकती है।
- आतंकवादी वित्तपोषण के प्रमुख तरीके:
 - हवाला लेनदेन (अनौपचारिक मूल्य हस्तांतरण प्रणाली);
 - धन उगाही के लिए धर्मार्थ संगठनों और गैर सरकारी संगठनों का दुरुपयोग;

आतंकवादी वित्तपोषण

- इसमें प्रायः परिचालन लागत, भर्ती और प्रचार-प्रसार के लिए अपेक्षाकृत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण धनराशि शामिल होती है।

- क्रिप्टोकॉर्सेसी और डिजिटल वॉलेट;
- फर्जी व्यावसायिक उद्यम और फर्जी कंपनियाँ;
- नकदी एवं उच्च मूल्य की वस्तुओं की तस्करी।

धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में चुनौतियाँ

- क्रिप्टोकॉर्सेसी जैसी डिजिटल भुगतान पद्धतियों का विकास।
- हवाला नेटवर्क जो औपचारिक बैंकिंग चैनलों को दरकिनार कर देते हैं।
- सीमा पार वित्तीय प्रवाह पर नज़र रखना कठिन हो जाता है।
- अवैध धन को छिपाने के लिए जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं का प्रयोग किया गया।
- न्यायिक कार्यवाही में देरी के कारण दोषसिद्धि में देरी होती है।

भारत का कानूनी और संस्थागत ढाँचा

- भारत ने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के अनुरूप कई कानून और प्रवर्तन उपाय अपनाए हैं।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:** यह भारत का प्राथमिक धन शोधन निवारण कानून है।
 - यह वित्तीय संस्थाओं को संदिग्ध लेनदेन की सूचना देने का अधिकार देता है तथा प्राधिकारियों को अवैध सम्पत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है।
 - प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA प्रावधानों को लागू करने वाली प्राथमिक एजेंसी है।
- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967:** यह आतंकवादी वित्तपोषण को अपराध मानता है और चरमपंथी समूहों को वित्तपोषित करने या समर्थन देने पर कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- **वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (FIU-IND):** यह वित्त मंत्रालय के अधीन, धन शोधन और आतंकवाद के

वित्तपोषण का पता लगाने के लिए वित्तीय डेटा एकत्र और विश्लेषण करती है।

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देश:** RBI ने अवैध वित्तीय प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने ग्राहक को जानो (KYC), धन शोधन निरोधक (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक (CFT) ढाँचे और मानदंडों को अनिवार्य किया है।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010:** FCRA NGOs और संघों द्वारा प्राप्त विदेशी धन की निगरानी करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए न किया जाए।

नव गतिविधि

- भारत ने वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, विशेष रूप से FATF की समीक्षाओं और बढ़ते डिजिटल वित्तीय लेनदेन के मद्देनजर।
 - प्रमुख उपायों में शामिल हैं:
 - धन शोधन को रोकने के लिए फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई।
 - AML अनुपालन के लिए क्रिप्टोकॉर्सेसी लेनदेन का विनियमन।
 - ED, FIU, RBI और खुफिया एजेंसियों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना।

Source: IE

भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि 2024 में म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

मुक्त आवागमन व्यवस्था

- FMR दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश में यात्रा करने की अनुमति देती है।

- म्यांमार के साथ FMR 1968 में अस्तित्व में आया क्योंकि सीमा के दोनों ओर के लोगों के बीच पारिवारिक और जातीय संबंध हैं।
- उस समय मुक्त आवागमन की क्षेत्रीय सीमा 40 किमी. थी, जिसे 2004 में घटाकर 16 किमी. कर दिया गया तथा 2016 में अतिरिक्त नियम लागू किये गये।

FMR को समाप्त करने के कारण

- **आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा:** म्यांमार में अस्थिरता और सशस्त्र समूहों की उपस्थिति, सीमा पार प्रवास और आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- **मादक पदार्थों की तस्करी:** गोल्डन ट्राइंगल से मादक पदार्थ आ रहे हैं, यह वह क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की वन संबंधी सीमाएँ मिलती हैं और जो विश्व के प्रमुख अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी वाले क्षेत्रों में से एक है।
- **विद्रोही समूह:** वर्तमान व्यवस्था विद्रोहियों को घने जंगलों में शिविर बनाने की अनुमति देती है।
- **शरणार्थियों का आगमन:** पूर्वोत्तर (NE) राज्यों, मुख्य रूप से मणिपुर में बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं।
- **चीन का प्रभाव:** 2021 में तख्तापलट के बाद म्यांमार की चीन पर निर्भरता बढ़ गई, चीन ने म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचाया, हालाँकि म्यांमार ने तख्तापलट से पहले विविधीकरण की माँग की थी।

भारत-म्यांमार संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- **अवस्थिति:** भारत म्यांमार के साथ एक लंबी स्थलीय सीमा के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करता है।
 - चार पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है।



- **राजनयिक संबंध:** भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहे हैं, उच्च स्तरीय यात्राओं और वार्ताओं से सरकारी स्तर पर संबंध मजबूत हुए हैं।
 - भारत और म्यांमार ने 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:** दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, तथा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एवं व्यापार मार्गों के प्रभाव ने सहस्राब्दियों से उनके संबंधों को आकार दिया है।
- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** म्यांमार अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक महत्त्व रखता है, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।
 - भारत 'एक्ट ईस्ट' और 'पड़ोसी प्रथम' नीतियों के अनुरूप म्यांमार के साथ अपना सहयोग बढ़ाना चाहता है।
- **आर्थिक सहयोग:** 1970 में व्यापार समझौते के बाद से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसमें भारत म्यांमार के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
 - 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 1.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।
 - द्विपक्षीय व्यापार आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) और भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना के अंतर्गत किया जाता है।
- **सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश सीमा सुरक्षा, उग्रवाद और सीमा पार तस्करी को लेकर चिंतित हैं।
 - उन्होंने खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पर संयुक्त गश्त सहित सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग किया है।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** भारत विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं में शामिल है जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
- म्यांमार के रखाइन प्रांत में सित्तवे बंदरगाह कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP) के लिए महत्वपूर्ण है।
- **विकास सहायता:** भारत म्यांमार को बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास सहायता प्रदान कर रहा है।
- **साझा मंच:** बिम्स्टेक, मेकांग-गंगा सहयोग (MGC) और सार्क।

निष्कर्ष

- म्यांमार में राजनीतिक स्थिति अप्रत्याशित है, भारत को म्यांमार से भारत में लोगों के प्रवाह को रोकने के लिए एक निश्चित तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- सरकार को इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भारत के लोगों को शिक्षित करने, लोगों को विश्वास में लेने और धीरे-धीरे निर्णय पर पहुँचने की आवश्यकता है।

Source: TH

प्रवाल विरंजन ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ को नष्ट कर दिया

समाचार में

- ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर एक अभूतपूर्व प्रवाल विरंजन की भीषण सामूहिक घटना घट रही है, जिसका प्रभाव यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल निंगलू रीफ पर पड़ रहा है।

परिचय

- यह घटना 2023 से जारी रहने वाली चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का हिस्सा है।
- NOAA ने बताया कि विश्व के लगभग 84% रीफ क्षेत्रों में विरंजन स्तर का ताप तनाव अनुभव किया गया है, जिसका प्रभाव 80 से अधिक देशों और क्षेत्रों पर पड़ा है।
- वैश्विक समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि, अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण के कारण यह संकट और

भी बदतर हो गया है - ये चुनौतियाँ जलवायु परिवर्तन के कारण और भी तीव्र हो गई हैं।

प्रवाल भित्तियाँ: मुख्य तथ्य

• प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं?

- चट्टान निर्माण करने वाले प्रवाल द्वारा निर्मित जल के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र।
- कैल्शियम कार्बोनेट से बंधे हुए कोरल पॉलिप्स की कॉलोनियों से बना है।
- कोरल पॉलिप्स शैवाल (ज़ूक्सैन्थेला) के साथ एंडोसिम्बायोसिस में रहते हैं।

• अनुकूल परिस्थितियाँ:

- तापमान: 20°C–35°C
- लवणता: 27%–40%
- गहराई: सूर्य के प्रकाश तक पहुँच के लिए उथले पानी (<50 मीटर) को प्राथमिकता दें

• प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ:

- वैश्विक: ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)
- भारत: लाकोबा और निकडवे, मालशेयर द्वीप, मन्नार के गल्फ़ेपमैन

प्रवाल भित्तियों के लाभ

- समुद्री जैव विविधता हॉटस्पॉट और महासागरीय खाद्य श्रृंखलाओं को समर्थन,
- तूफानों और कटाव के विरुद्ध तटीय संरक्षण,
- जलवायु शमन में सहायता करने वाला कार्बन पृथक्करण,
- आजीविका और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा,
- नवीन दवाओं का स्रोत (एंटीवायरल, एंटीकैंसर एजेंट)।

प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा

- जलवायु प्रभाव: विरंजन, अम्लीकरण, शैवाल प्रस्फुटन
- मानवीय गतिविधियाँ: अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण, प्रवाल खनन
- आवास विनाश: तटीय विकास और अवसादन

आगे की राह

- **जलवायु कार्रवाई:** वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना (पेरिस समझौता)
- **नीति और प्रशासन:** सतत विकास लक्ष्यों (विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 8 और 12) को लागू करना
- **वैश्विक सहयोग:** सामूहिक रूप से अत्यधिक मछली पकड़ने और समुद्री प्रदूषण से निपटना
- **नवाचार:** जलवायु-अनुकूल प्रवाल प्रजातियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष

समाचार में

- हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ने पाँच वर्ष पूर्ण किये।

तकनीकी वस्त्र क्या हैं?

- तकनीकी वस्त्र वे वस्त्र सामग्री और उत्पाद हैं जो सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं के बजाय मुख्य रूप से उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं।
- इन्हें स्थायित्व, शक्ति, लचीलापन, इन्सुलेशन, निस्पंदन और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें प्रायः उन्नत फाइबर जैसे कि अरामिड, कार्बन फाइबर और

नॉनवुवेन शामिल होते हैं।


- इनका उपयोग ऐसे उत्पादों में किया जाता है जो लोगों की सुरक्षा करने, मशीनरी को बेहतर बनाने और व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं, जैसे कार के पुर्जे, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण और सुरक्षा गियर।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)

- इसे भारत में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे एक उदयीमान क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

प्रमुख घटक:

- **अनुसंधान, नवाचार और विकास:** यह तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देता है, तथा नई सामग्रियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **संवर्धन और बाजार विकास:** इसका उद्देश्य बाजार संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों को अपनाने में वृद्धि करना है।
- **निर्यात संवर्धन:** यह एक समर्पित निर्यात परिषद के साथ तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास:** यह अग्रणी संस्थानों और उद्योगों में तकनीकी वस्त्रों में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और इंटरशिप को बढ़ावा देता है।



चुनौतियाँ

- घरेलू जागरूकता कम है
- आयातित मशीनरी और कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भरता है
- विशेष कौशल विकास की आवश्यकता है

क्या आप जानते हैं?

- भारत का कपड़ा उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दुनिया भर में सबसे नवीन कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है, जिसकी विश्व कपड़ा निर्यात में 3.9% हिस्सेदारी है।
- यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है। यह क्षेत्र 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने वाला है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।
- इस वृद्धि से 3.5 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है।

Source : PIB

विकास और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता(Dx-EDGE)

समाचार में

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने नीति आयोग और AICTE के सहयोग से एक राष्ट्रीय पहल - विकास और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता (Dx-EDGE) प्रारंभ की है।

विकास और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता (Dx-EDGE) के बारे में

- **उद्देश्य:** डिजिटल अपनाने के माध्यम से MSMEs को भविष्य के लिए तैयार, प्रतिस्पर्धी और लचीला बनने में सहायता करना।
- **विज्ञान सरेखण:** MSME पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल विभाजन को समाप्त कर विकसित भारत 2047 और नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब का समर्थन करता है।

Source: PIB

जिला खनिज फाउंडेशन(DMF)

सन्दर्भ

- ओडिशा सरकार ने नई परियोजनाओं को शामिल करने, निधि के उपयोग में सुधार लाने और कवरेज का विस्तार करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के मानदंडों पर पुनर्विचार किया है।

परिचय

- **प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार:** “प्रत्यक्षतः प्रभावित” क्षेत्र को अब खदानों से 15 किलोमीटर के दायरे में परिभाषित किया गया है (10 किलोमीटर से ऊपर)। “अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित” क्षेत्र 25 किलोमीटर के भीतर है।
- **विकास के लिए संतृप्ति मोड:** खदानों के 5 किलोमीटर के अन्दर विकास “संतृप्ति मोड” में लागू किया जाएगा।

जिला खनिज फाउंडेशन

- भारत सरकार ने खनन प्रभावित जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना के लिए 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया।
- DMF गैर-लाभकारी निकाय हैं, जिनके कार्य और संरचना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **DMF का उद्देश्य:** फाउंडेशन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करता है।
- **DMF की स्थापना:** 23 राज्यों के 645 जिलों में DMF की स्थापना की गई है, प्रत्येक राज्य में संबंधित नियम बनाए गए हैं।
- **कानूनी ढाँचा:** DMF के नियम अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे प्रासंगिक अधिनियमों से संबंधित प्रावधानों द्वारा निर्देशित होते हैं।
- **DMF के लिए फंडिंग:** खनन पट्टाधारकों को रॉयल्टी भुगतान के अलावा DMF फंड में योगदान देना चाहिए।

Source: IE

मनरेगा मजदूरी वृद्धि

समाचार में

- केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के अंतर्गत मजदूरी में 2-7% की वृद्धि की है।

वेतन वृद्धि का विवरण

- विभिन्न राज्यों में वेतन वृद्धि ₹7 से लेकर ₹26 तक है।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में ₹7 की वृद्धि देखी गई।
- हरियाणा में सबसे अधिक ₹26 की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसकी मजदूरी दर ₹400 प्रतिदिन हो गई, प्रथम बार किसी राज्य में ऐसी दर होगी।

MGNREGA

- यह माँग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण प्रत्येक राज्य में रोजगार की माँग पर आधारित है।
 - इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य के लिए स्वेच्छा से कार्य करते हैं।
- कार्य के प्रकार:** मनरेगा में कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे सहित 266 प्रकार के कार्य शामिल हैं। मुख्य फोकस क्षेत्रों में जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाएँ शामिल हैं।
- मजदूरी की गणना:** ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर मनरेगा मजदूरी दरें निर्धारित की जाती हैं।
 - वित्त वर्ष 2024-25 में, गोवा में सबसे अधिक 10.56% की मजदूरी वृद्धि हुई, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.04% थी।
- बजटीय आवंटन:** मनरेगा के लिए बजट आवंटन 2006-07 में ₹11,300 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष

2024-25 में ₹86,000 करोड़ हो गया है, जबकि 2020-21 में कोविड-19 चुनौतियों से निपटने के लिए रिकॉर्ड ₹1,11,000 करोड़ व्यय किए गए हैं।

- महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 48% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 58% से अधिक हो गई है।
- डिजिटल सुधार:** आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) ने लक्ष्य निर्धारण, दक्षता में सुधार किया है और भुगतान में देरी को कम किया है।
 - 99.49% सक्रिय कर्मचारी अब आधार से जुड़े हुए हैं।
- राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) ने पारदर्शिता को बढ़ाया है और फर्जी उपस्थिति को समाप्त किया है।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (NeFMS) और DBT ने MGNREGA को सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना बना दिया है, जिसमें 100% मजदूरी का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

Source :IE

भारत 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन जाएगा

संदर्भ

- भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है।

परिचय

- 2024 में भारत का चाय निर्यात:** 255 मिलियन किलोग्राम, श्रीलंका को पीछे छोड़कर केन्या के बाद दूसरे स्थान पर।
- निर्यात मूल्य:** 2023 में 6,161 करोड़ रुपये से 2024 में 7,111 करोड़ रुपये तक 15% की वृद्धि।
- निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार:** मुख्य रूप से काली चाय (96%), थोड़ी मात्रा में नियमित, हरी, हर्बल, मसाला और नींबू चाय।

- **मुख्य चालक:** पश्चिम एशिया, विशेष रूप से इराक को शिपमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि, जो अब भारत के चाय निर्यात का 20% है।
- **भारत के निर्यात गंतव्य:** यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और यूके सहित 25 से अधिक देश।
- **इराक का पूर्वानुमान:** चालू वित्त वर्ष में 40-50 मिलियन किलोग्राम आयात की उम्मीद है।
- **प्रमुख चाय क्षेत्र:** असम (असम घाटी, कछार) और पश्चिम बंगाल (द्वार, तराई, दार्जिलिंग)।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** भारतीय चाय, विशेष रूप से असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि, अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **योगदान देने वाले कारक:** चाय उत्पादन को बढ़ावा देना, ब्रांडिंग के प्रयास और चाय श्रमिकों के कल्याण में सुधार।

भारतीय चाय बोर्ड

- इसे 1954 में चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसकी स्थापना भारतीय चाय उद्योग को विनियमित करने और भारत में चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी।
- भारत के चाय उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादित सभी चाय का प्रशासन चाय बोर्ड द्वारा किया जाता है।
 - बोर्ड में 32 सदस्य होते हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं, जो चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।

Source: AIR

गैया मिशन (Gaia Mission)

संदर्भ

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, गैया को बंद कर दिया।

क्या आप जानते हैं?

- 27 मार्च, 2025 को गैया को “निष्क्रिय” कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई है और इसे पुनः चालू नहीं किया जाएगा।
- यह अपने थ्रस्टर्स का अंतिम बार उपयोग करने के बाद सूर्य के चारों ओर अपनी “सेवानिवृत्ति कक्षा” में प्रवेश कर गया।

गैया मिशन

- इसे दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, और इसे मिल्की वे आकाशगंगा का एक सटीक 3D मानचित्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
 - मूल रूप से ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (GAIA) नाम दिया गया, मिशन का नाम बदलकर Gaia रखा गया।
- इसे एस्ट्रोमेट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो सितारों और अन्य खगोलीय पिंडों के स्थान और गति के सटीक माप के माध्यम से ब्रह्मांड का मानचित्रण करने का विज्ञान है।
- इसे लैंग्रेंज पॉइंट 2 (L2) पर रखा गया था, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है।
 - लैंग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में विशिष्ट स्थान होते हैं जहाँ दो बड़े खगोलीय पिंडों (जैसे पृथ्वी और सूर्य) के गुरुत्वाकर्षण बल और एक छोटी वस्तु (जैसे उपग्रह) का केन्द्रापसारक बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं।

Source :IE

ग्रीन ग्रेबिंग

समाचार में

- भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास कर रहा है, एक चिंताजनक घटना सामने आई है जिसे “ग्रीन ग्रेबिंग” के नाम से जाना जाता है।

परिचय

- ग्रीन ग्रेबिंग में पर्यावरण संरक्षण या सतत विकास की आड़ में भूमि का जबरन अधिग्रहण शामिल है। असम

के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की तरह, पहाड़ी क्षेत्रों के कारण उपजाऊ भूमि दुर्लभ है।

- सौर पार्क स्थापित करने की सरकार की पहल ने इन सीमित उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया है, जिससे कार्बी और नागा जैसे स्वदेशी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

Source: DTE

नाग मिसाइल प्रणाली (NAMIS)

समाचार में

- भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल प्रणाली (NAMIS) की खरीद के लिए खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के अंतर्गत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

NAMIS के बारे में

- NAMIS रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की, फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) प्रणाली है।
- इसे विशेष रूप से भारतीय सेना द्वारा भारी बख्तरबंद दुश्मन के टैंकों को बेअसर करने के लिए तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह लॉन्च के बाद किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता

के बिना टैंकों को निशाना बनाता है।

Source: TH

अभ्यास प्रचंड प्रहार

संदर्भ

- भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊँचाई वाले इलाके में एक उच्च स्तरीय त्रि-सेवा एकीकृत बहु-डोमेन अभ्यास, प्रचंड प्रहार का आयोजन किया।

अभ्यास के बारे में

- इस अभ्यास में उन्नत निगरानी, हमला करने की क्षमता और बहु-डोमेन परिचालन योजना के निर्बाध एकीकरण को प्रदर्शित किया गया।
- पूर्ण स्थितिजन्य जागरूकता और तेजी से लक्ष्य निर्धारण को प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान, सशस्त्र हेलीकॉप्टर, यूएवी, घूमने वाले युद्ध सामग्री और अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों जैसे अत्याधुनिक प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया।
- प्रचंड प्रहार नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास के बाद आयोजित किया गया है, जिसमें विमानन परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

Source: TH